वित्तीय विवरण

सन् 2006-07 की लेखा पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

Downloaded from the official website www.victoriamemorial-cal.org

वर्ष 2006-07 के लिए विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता की लेखा पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. भूमिका

1.1 विक्टोरिया मेमोरियल अधिनियम - 1903 के तहत विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता (वी एम एच) की स्थापना हुई थी। सन् 1935 में इसे राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया था।

1.2 विक्टोरिया मेमोरियल हाल को भारत सरकार के अनुदान से वित्त प्राप्त होता है। सन् 2006-07 के दौरान विक्टोरिया मेमोरियल हाल ने भारत सरकार से रु.9.32 करोड़ (योजना रु. 7.22 करोड़ तथा गैर योजना रु.2.10 करोड़) का कुल अनुदान प्राप्त किया। उपर्युक्त योजना अनुदान में गत वर्ष (2005-06) का प्राप्य अनुदान रु.0.40 करोड़ तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु रु.0.82 करोड़ का विशिष्ट उद्देश्य अनुदान शामिल था।

वी एम एच ने रु. 7.24 करोड़ (योजना रु.3.97 करोड़ तथा गैर योजना रु.3.27 करोड़) का उपयोग किया, जिससे योजना के तहत रु.3.25 करोड़ शेष अव्यवहृत रकम रही तथा गैर योजना के तहत रु.1.17 करोड़ (रु.3.27 करोड़ - रु. 2.10 करोड़) के अति व्यय को हॉल के राजस्व से पूरा किया गया।

योजना के तहत अव्यवहृत शेष रकम में भुगतान की गई अग्रिमें एवं सन् 2006-07 के दौरान सण्ड्री क्रेडिटर्स के प्रावधान शामिल रहे।

1.3 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार, एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत सन् 2006-07 के लिये वी एम एच की लेखा का लेखा परीक्षण किया गया है। सन् 2007-08 तक पांच वर्ष की अवधि के लिये लेखापरीक्षा का भार सिपुर्द किया गया है।

2. लेखा पर टिप्पणी

2.1 तुलन पत्र - परिसम्पत्तियां

लेखा पर टिप्पणियों के उल्लेख (सारणी 25) के अनुसार कुल 28, 393 कलावस्तुओं (31 मार्च 2007 को) में से सन् 2006-07 के दौरान सिर्फ 565 कला वस्तुओं (अर्थात् लगभग 2 प्र.श.) का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। इसके अलावा प्रत्यक्ष सत्यापन के समय कलावस्तुओं की स्थिति पर कोई रिपोर्ट नहीं बनायी गई। इसप्रकार वी एम एच के रिकार्ड में दर्शाई गई कला वस्तुओं के प्रत्यक्ष अस्तित्व एवं स्थिति के बारे में लेखापरीक्षा में जायजा नहीं लिया जा सका।

गत वर्ष की लेखापरीक्षा में उल्लेख के बावजूद इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वी एम एच ने अपनी लेखा पर टिप्पणी (सारणी - 25) में उल्लेख किया है कि 31 मार्च 2007 को कला वस्तुओं की कुल संख्या 28,393 रही। हालांकि कला वस्तुओं के अधिग्रहण रजिस्टर के अनुसार 31 मार्च 2007 तक 10,176 कला वस्तुओं का अधिग्रहण क्रमांक दिया गया था। गत वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख के बावजूद इस असंगति का समाधान नहीं किया गया।

3. सामान्य

3.1 वी एम एच ने सन् 2006-07 के दौरान स्वीकृत अनुदान के समूचे रकम के उपयोग को दर्शाते हुए गैर योजना एवं योजना के लिये पृथक रूप से मंत्रालय को जी एफ आर - 19 ए प्रपत्र में उपयोग प्रमाणपत्र सुपुर्द किया था। पूर्वोत्तर के विशिष्ट उद्देश्य योजना अनुदान के लिये कोई भी उपयोग प्रमाणपत्र पृथक रूप से जारी नहीं किया गया। संगठन ने सन् 2006-07 के दौरान गैर योजना के तहत रु. 0.13 करोड़, योजना के तहत रु. 0.79 करोड़ तथा योजना (पूर्वोत्तर) के तहत रु.1.11 करोड़ के अग्रिमों का भुगतान किया। लेकिन उपयोग प्रमाणपत्रों में इन अग्रिमों को नहीं दर्शाया गया जबकि जी एफ आर के नियम 212 (1) के नीचे दिये गये नोट - 2 के प्रावधान के अनुसार ऐसा करना अपेक्षित था। पुनः, योजना के तहत उपयोग के रूप में दर्शायी गई रकम में रु.1.41 करोड़ का प्रावधान शामिल रहा, जो अनुदान के वास्तविक उपयोग का हिस्सा नहीं था।

3.2 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 1 (13)/इ वी/2001 दिनांक 15 मार्च 2004 में स्पष्ट किया गया था कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठनों में 1 जनवरी 2004 को अथवा उसके उपरांत शामिल होने वाले सभी कर्मी अवश्य ही नई पेंशन योजना के दायरे में आयेंगे। इस योजना के तहत सरकारी कर्मी को वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्र.श. अंशदान करना होगा एवं सरकार भी इतना ही अंशदान करेगी। इन अशंदानों एवं उन पर होने वाली निवेश आय को गैर निकासीयोग्य पेंशन खाते में रखा जायेगा। सन् 2006-07 की वार्षिक लेखा की जांच से पता लगा कि वी एम एच ने उन 27 कर्मियों के वेतन से नई पेंशन योजना के तहत अपेक्षित कटौती नहीं की, जो 1 जनवरी 2004 को या उसके

Downloaded from the official website www.victoriamemorial-cal.org

पश्चात् सेवा में शामिल हुए थे, इसप्रकार भारत सरकार के निर्दिष्ट मार्गदर्शन पर अमल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप वी एम एच द्वारा देय रोजगारदाता के अंशदान को पृथक नहीं रखा गया, जिसके अभाव में वी एम एच को योजना के प्रारंभ के समय एकमुश्त दायिता का वहन करना पड़ सकता है। यहां तक कि नई पेंशन योजना खाते को अभी तक कार्यान्वित भी नहीं किया गया है। वी एम एच को सूचित किया गया है कि उन 27 कर्मियों के लिये नई पेंशन योजना कार्यान्वित करें, जो 1 जनवरी 2004 को या उसके उपरांत सेवा में शामिल हुए हैं।

3.3 31 मार्च 2007 को सामान्य भविष्य निधि खाता (जी पी एफ) (सारणी - 7 क) के तुलन पत्र में रु.1.21 करोड़ का 'निवेश' दर्शाया गया है। पूरी रकम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आवधिक जमा के रूप में निवेश की गई। पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्टों में जिक्र होने के बावजूद वी एम एच ने 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश ढांचे का अनुसरण नहीं किया।

3.4 वी एम एच ने सन् 2006-07 के दौरान भारत सरकार से पूर्वोत्तर के लिये विशिष्ट उद्देश्य योजना अनुदान के रूप में रु. 0.82 करोड़ प्राप्त किया। लेकिन वी एम एच ने नियत कोष (सारणी - 3) में इस विशिष्ट उद्देश्य अनुदान की प्राप्ति, उपयोग और अव्यवहृत शेष रकम को नहीं दर्शाया। वी एम एच ने रु.0.82 करोड़ के अनुदान की जगह रु. 1.14 करोड़ व्यय किया, जिससे रु.0.32 करोड़ (रु.1.14 करोड़ - रु.0.82 करोड़) का अति उपयोग हुआ। सारणी - 3 में समुचित रूप से दर्शाये नहीं जाने के कारण पूर्वोत्तर के लिये विशिष्ट उद्देश्य योजना अनुदान के अव्यवहृत/उपयोग में नहीं आये हिस्से अथवा अति उपयोग का लेखापरीक्षा में जायजा नहीं लिया जा सका।

4. प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से एक प्रबंधन पत्र के जरिये विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता के सचिव एवं संग्रहाध्यक्ष के ध्यानार्थ लाया गया है ताकि प्रतिकारी/संशोधनमूलक कार्रवाई की जाये।

ह.

(जी. भट्टाचार्जी)

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा

केंद्रीय : कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 06.05.2008

Downloaded from the official website www.victoriamemorial-cal.org